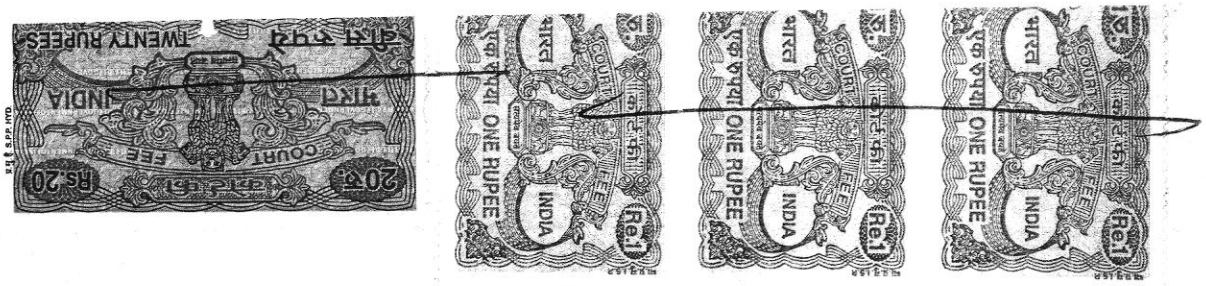

न्यायालय : राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रं. निगरानी निगरानी 129-I-15.

सुंदर सिंह जादौन पुत्र श्री गजाधर सिंह जादौन, आयु - 65 वर्ष, निवासी-लवकुशनगर, तहसील-लवकुश नगर, जिला -छतरपुर, (म0 प्र0)

- आवेदक

दिनांक 19-1-15 को श्री सुभाष सक्सेना अभि. द्वारा प्रस्तुत।
19-1-15
SO

(1) आनंदी लाल पुत्र श्री रामनाथ पटेल, निवासी-धूमर (गुढातला) , तहसील-लवकुश नगर (लौढ़ी) , जिला -छतरपुर, (म0 प्र0)

(2) मध्य प्रदेश शासन

- अनावेदकगण

(3) महावीर सिंह जादौन पुत्र श्री गजाधर सिंह जादौन

(4) गणेश सिंह जौदान पुत्र श्री गजाधर सिंह जादौन

निवासीगण-लवकुशनगर,तहसील-लवकुश नगर, जिला -छतरपुर, (म0 प्र0)

- प्रोफार्मा अनावेदकगण

...भारी (रा.अ.)
...अधिवक्ता, ग्वालियर
19-1-15

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 के विरूद्व आदेश दिनांक 09.06.2004 द्वारा पारित न्यायालय तहसीलदार, तहसील-लवकुशनकर (म0 प्र0) प्रकरण क्रमांक 56/A-5/03-04

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्नलिखित है:-

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, तहसीलदार लवकुशनगर के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा खसरा नंबर 250/1/1, 250/2/1 एवं

(72)

सुंदर सिंह जादौन विरूद्ध आनंदीलाल आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 129–एक/15 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24/4/15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, तहसील लवकुशनगर के प्रकरण क्रमांक 56/अ–5/03–04 में पारित आदेश दिनांक 9–6–04 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 9–6–04 के विरूद्ध दिनांक 19–1–15 को अर्थात 10 वर्ष से अधिक समय विलंब से प्रस्तुत की गई है । इस 10 वर्ष के असाधारण विलंब का कोई समुचित स्पष्टीकरण आवेदक की ओर से नहीं दिया गया है । विलंब के संबंध में यह कहा है कि उन्हें आदेश की जानकारी 29.12.14 को जब हुई जब अनावेदक ने धारा 250 की कार्यवाही तहसीलदार के समक्ष पेश की । उक्त आधार समाधान कारक प्रतीत नहीं होता है । विलंब के संबंध में दिन प्रति दिन का स्पष्टीकरण आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	